अनवान..

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22.7.19	पत्रावली पेश हुई। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 29.7.19 को पेश हो। [हस्ताक्षर] 22.7.19	
29.7.19	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का नजदीकी से अध्ययन व मनन किया गया। वसीयत के सम्बन्ध में हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आराजी-पक 51f के मु०नं. 38 में 1.544 हैक्. नहरी रकबा करनैल कौर पत्नि पूरनसिंह जाति जटसिख के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व जमाबन्दी है। यह है कि उक्त रकबा इ०सं. 331 वसीयत के द्वारा पूरनसिंह वल्द जयसिंह से करनैलकौर पत्नि पूरनसिंह के नाम दर्ज हुआ है। यह है कि उक्त रकबे पर वारिसान का कब्जा काश्त है। यह है कि उक्त रकबे पर रहन/बैय नहीं है। यह है कि उक्त रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है और न ही किसी न्यायालय का वाद विचाराधीन है। यह है कि उक्त रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है, यह है कि उक्त रकबा किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित/अवाप्त नहीं है। इस कार्यालय के पत्रांक 3583-84 दिनांक 21/12/2017 को वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/एतराज बाबत सार्वजनिक सूचना किसी लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के लिये विज्ञप्ति जारी की गई जो समाचार पत्र सन्ध्या बार्डर टाइम्स दिनांक 27/3/2018 को कॉलम नम्बर 6 पर प्रकाशित हुई है। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आदिनांक तक इस कार्यालय में वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुये है। वसीयत	

Scanned by CamScanner

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख [illegible] हुक्म की तामील
	मेरे दर्ज गवाहान शमशेर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह, बलकरण सिंह पुत्र पूर्ण सिंह और सुखदीप सिंह पुत्री पूर्ण सिंह जाति जटसिख के बयानानुसार वसीयतकर्ता करनैल कौर ने अपने जीवन-काल में वसीयत पूरे होश हवास में, बिना किसी नशे पते के और बिना किसी दबाव/उत्पीड़न के अपने पोते निशान सिंह पुत्र शमशेर सिंह के पक्ष में करवाई/लिखवाई है। यह वसीयत अपनी पूर्ण स्वेच्छा से और अपनी पूर्ण रजामंदी से लिखवाई है। वसीयत लिखवाते वक्त वसीयतकर्ता पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। मौके पर कब्जा काश्त भी निशान सिंह का ही है और मौके पर वसीयत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। गवाहान ने बयानात सम्बन्धी शपथपत्र भी प्रस्तुत किये है। मैं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहान के बयान और रिपोर्ट पटवारी का गहन अध्ययन व मनन किया गया। रिपोर्ट पटवारी अनुसार प्रश्नगत रकबा खातेदारी है और प्रश्नगत वसीयतकर्ता द्वारा धारित रकबा स्वः अर्जित है। प्रश्नगत रकबे पर किसी प्रकार का रहन/बैय नहीं है। प्रश्नगत रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है और न ही किसी न्यायालय में वाद जेरकार है। प्रश्नगत रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है और न ही किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित/आवंटित नही है। इस कार्यालय द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/एतराज बाबत जारी समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आदिनांक तक इस कार्यालय में वसीयत के सम्बन्ध में कोई	

Scanned by CamScanner

अनवान........................

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरणपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जाता	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आपत्ति / एतराज प्रस्तुत नहीं हुये हैं। वसीयत में दर्ज नकाबल के बयानातनुसार वसीयत कर्ता ने पूरे होश-हवास में, करते हुए और द्वारा वसीयत पूरे होश-हवास में, बिना किसी नशे पते के और बिना किसी दबाव/ उत्पीड़न के, अपनी पूर्ण स्वेच्छा और रजामंदी से लिखवाई गई है। मौके पर कब्जा काश्त भी वसीयतनुसार निशान सिद्ध होते हैं और मौके पर वसीयत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। अतः राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 131(2) के तहत वसीयत की वैधता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय भजेमआम में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पटवारी हल्का को वसीयतानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने बाबत अन्तर्गत धारा 135(1) LR Act के तहत पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	[signature] तहसीलदार (भू ...) श्रीकरणपुर	